PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Punjab Kesari, Delhi
Thursday 7th August 2014, Page: 8
Width: 6.39 cms, Height: 7.76 cms, a4, Ref: pmin.2014-08-07.49.104

TD, NIC Pyag. 8.8.14

दवा का एमआरपी घटाने की मांग

नई दिल्ली, (भाषा): राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निपटान आयोग (एनसीडीआरआरसी) ने कहा है कि दवा कंपनियों को अनाप-शनाप मुनाफा कमाने की छूट देना नैतिकता और नीतिशास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। आयोग ने केंद्र से गैर-कैंसर वाली रसौली के असर की जांच की दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी करने को कहा है जिसपर नोवार्तिस 100 प्रतिशत से अधिक मुनाफा कमा रही है। आयोग की एक पीठ ने दर्ज किया है कि नोवार्तिस इंडिया लिमिटेड की आक्ट्रेयोटाइड एलएआर 20एमजी (सेंडोस्टेटिन एलएआर) का एमआरपी 58000 रुपये प्रति टीका रखा गया है। कंपनी ने एक रोगी को 50 प्रतिशत छूट देते हुए इसे 29000 रुपये में बेचा। '... यह दिमाग में रहना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या किसी भी अन्य मंत्रालय द्वारा तय एमआरपी ऊंचा ही होता है। प्रतिवादी पक्ष (नोवार्तिस इंडिया लिमिटेड) ने 100 प्रतिशत से अधिक मुनाफा कमाया। एमआरपी फिर से तय करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ग्राहकों पर बोझ नहीं पड़े।' न्यायाधीश जेएम मलिक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कंपनियों को इतना अधिक मुनाफा कमाने देना नैतिकता व नीति शास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ है।